

o"kl 2006 l s 2013 rd fuxjkuh dkaMka es l tk; i rk 0; fDr; ka dh l pph %&

00	dl u0	fo"ki	l tk	l tk dh frffk	l cf/kr foHkkx	vH; fDrk
1	2	3	4	5	6	7
1	29/88	मो0 हसन इमाम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग	एक वर्ष सजा, 1000/- रु0 जुर्माना	08.06.2001	कृषि विभाग	
2	18/83	शंकर दयाल, जन सेवक, पंचायती राज	सजा	30.11.2003	कृषि विभाग	
3	05/08	श्री रामवचन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड फलका, कटिहार	धारा-7 में 1 वर्ष कारावास 3000/-रु0 जुर्माना 13 (1) (डी) में 1 वर्ष कारावास 3000/-रु0 जुर्माना	12/11/2012	कृषि विभाग	
4	29/86	6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रशाखा कृषि पदाधिकारी, लखिसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	कृषि विभाग	
5	47/91	श्री जितेन्द्र मोहन, कार्यालय सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	दो वर्ष एवं 5000/-रु0 जुर्माना	5/7/2010	बिहार लोक सेवा आयोग	
6	01/83	श्री रविभूषण प्रसाद एवं अन्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अचंल, दरभंगा	तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना की सजा	24-09-10	भवन निर्माण विभाग	
7	32/92	बिरेन्द्र कुमार, अवर निबंधक, सहकारिता	सजा	20.12.99	सहकारिता	
8	07/87	महेश पाण्डेय, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा विभाग	सजा	13.09.95	शिक्षा विभाग	
9	23/86	श्री मुद्दीका राय प्रभाकर, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय, बेलाउर भोजपुर	एक वर्ष एवं 1000/- रु0 जुर्माना	26-06-07	शिक्षा विभाग	
10	01/96	श्री रामजी सिंह, प्रधान लिपिक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय, पटना	एक वर्ष एवं 500/-रु0 जुर्माना	29-11-08	शिक्षा विभाग	
11	33/07	श्री ओम प्रकाश, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ	धारा-7 में एक वर्ष एवं धारा-13 (1) (डी) में एक वर्ष छः महीना का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5000-5000 रु0 का जुर्माना	24-02-11	शिक्षा विभाग	

12	32/90	श्री विरेन्द्र मोहन प्रसाद, बड़ाबाबू, जुप्लीकेट सर्टिफिकेट शाखा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना	एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो सौ रु० का जुर्माना	28-05-11	शिक्षा विभाग	
13	72/07	अमोद कुमार झा, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, अमौर ब्लॉक, जिला-पूर्णिया	दो वर्ष की सजा 5000/-रु० जुर्माना	5/3/2013	शिक्षा विभाग	
14	48/92	5. उमेश प्रसाद सिंह, प्रधानाध्यापक, प्र० विद्यालय, बरही, सोनवर्षा	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु० जुर्माना	30-03-13	शिक्षा विभाग	
15	11/82	युगल किशोर शरण, कनीय अभियंता, विद्युत	सजा	30.11.2003	विद्युत विभाग	
16	11/82	केशव प्रसाद, स्टोरकीपर, विद्युत	सजा	30.11.2003	विद्युत विभाग	
17	91/06	श्री गयानन्द सिंह, सहायक विद्युत अवर प्रमंडल, गोगरी, खगड़िया	3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/रु० का जुर्माना	7/5/2012	विद्युत विभाग	
18	20/90	श्री दामोदर मिश्र, महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, कांटी पावन स्टेशन, कांटी	तीन वर्ष एवं 10000/-रु० जुर्माना	12/2/2008	विद्युत विभाग	
19	06/04	1. श्री पिताम्बर राय, वनरक्षी।	1-1 वर्ष का सश्रम कारावास	23-04-12	वन एवं पर्यावरण विभाग	
20	35/06	श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, लिपिक वाणिज्यकर कार्यालय, दक्षिणी अंचल, कंकड़बाग, पटना	तीन एवं दो वर्ष की सजा एवं 4000/-रु० जुर्माना	24-11-08	वाणिज्यकर विभाग	
21	29/92	नागेश्वर चौधरी, लिपिक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सजा	30.01.2003	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
22	39/08	1) श्री अशोक कुमार, वर्तमान जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
23	39/08	2) श्री नागेन्द्र भूषण, वरीय सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
24	39/08	3) श्री दिनेश प्रसाद सिंह, उप प्रबंधक।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
25	39/08	4) श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, लेखापाल।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु०	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	

26	39/08	5) श्री राजदेव सिंह, लेखा कर्मी।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
27	39/08	6) श्री कौशलेन्द्र कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोहरा।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
28	39/08	7) श्री सतीश कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अतरी।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
29	39/08	8) श्री हरि चरण मिश्र, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोधगया।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
30	39/08	9) डॉ० अली ईमाम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मखदुमपुर।	प्रत्येक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना 44000/-रु0	7/5/2010	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	
31	10/08	श्री राज कुमार महतो, सहायक गोदाम प्रबंधक, गुरनिया बांका	धारा-420 में तीन वर्ष एवं 120 में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा	16-09-10	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
32	48/92	4. वागेश्वरी प्रसाद सिंह, प्रबंधक, व्यापार मंडल,	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
33	09/85	शिव कुमार श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन	सजा	12.04.90	सामान्य प्रशासन विभाग	
34	39/86	रामानुज प्रसाद, सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	03.12.92	सामान्य प्रशासन विभाग	
35	39/86	राजा इमाम, अवर सचिव, उत्पाद विभाग	सजा	03.12.92	सामान्य प्रशासन विभाग	
36	39/86	गोपाल शंकर प्रसाद, निजी सहायक, उत्पाद विभाग	सजा	03.12.92	सामान्य प्रशासन विभाग	
37	28/92	रामानन्द सिंह, विशेष दण्डाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	31.07.99	सामान्य प्रशासन विभाग	
38	10/86	शंभु नाथ राम, चकबंदी पदाधिकारी, राजस्व विभाग	सजा	29.01.2000	सामान्य प्रशासन विभाग	
39	18/83	मुन्नी लाल मोची, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	30.11.2003	सामान्य प्रशासन विभाग	
40	18/83	महंगु मंसुरी, सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग	सजा	30.11.2003	सामान्य प्रशासन विभाग	

41	10/92	वैधनाथ साह, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा	धारा-7 में एक वर्ष सजा 10000/-रु0 जुर्माना, धारा 13 (1) (डी)/13 (2) में तीन वर्ष सजा 10000/-रु0 जुर्माना	22-04-13	सामान्य प्रशासन विभाग	
42	42/90	श्री कुमुद रंजन तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी, पशुपालन विभाग, पटना	एक वर्ष एवं 500/-रु0 जुर्माना	22-10-08	सामान्य प्रशासन विभाग	
43	Feb-91	1. गौरी शंकर सिंह, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।	धारा-120 बी0/420 एवं भ्र0नि0अधि0 की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	सामान्य प्रशासन विभाग	
44	29/86	1) श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखिसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	सामान्य प्रशासन विभाग	
45	30/86	1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	सामान्य प्रशासन विभाग	
46	32/86	1. श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन अंचलाधिकारी, गरखा प्रखंड सारण,	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	11/12/2012	सामान्य प्रशासन विभाग	
47	48/92	1. चन्द्रशेखर सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	सामान्य प्रशासन विभाग	
48	44/11	जवाहर लाल सिंह, प्र0वि0पदा0, रामनगर, प0 चम्पारण (बेतिया)	दो वर्ष की सजा 10000/-रु0 जुर्माना	28-06-13	सामान्य प्रशासन विभाग	
49	09/82	डॉ0 जनार्दन प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	
50	09/82	चितरंजन प्रसाद, लिपिक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	
51	09/82	शिव बालक सिंह, परिवार नियोजन प्रसाद पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	
52	09/82	नैयर आलम, लिपिक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	25.05.2001	स्वास्थ्य विभाग	
53	16/91	अब्बुनसर मल्लिक, निजी सहायक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	15.04.2004	स्वास्थ्य विभाग	
54	16/91	डॉ0 एस0पी0सिंह, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग	सजा	15.04.2004	स्वास्थ्य विभाग	
55	25/94	डॉ0 सच्चिदानन्द सिंह, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग	सजा	24.09.2004	स्वास्थ्य विभाग	

56	26/92	1. डॉ० राम कुमार हिमांशु, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय अस्पताल, कोईलवर, जिला भोजपुर।	प्रत्येक को दो वर्ष एवं एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रू० का जुर्माना	26-03-11	स्वास्थ्य विभाग	
57	26/92	2. श्री रघुनाथ सिंह, कम्पाउंडर, उपरोक्त।	प्रत्येक को दो वर्ष एवं एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रू० का जुर्माना	26-03-11	स्वास्थ्य विभाग	
58	26/92	3. बिल्टू सिंह, ड्रैसर उपरोक्त	प्रत्येक को दो वर्ष एवं एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रू० का जुर्माना	26-03-11	स्वास्थ्य विभाग	
59	07/91	डॉ० मो० अफाक, देशी चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर	1.5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना	11/4/2011	स्वास्थ्य विभाग	
60	13/06	डॉ० विनोद कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०के०, काको, जहानाबाद	2 वर्ष एवं 1.5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/-रू० जुर्माना	2/7/2013	स्वास्थ्य विभाग	
61	60(12)77	सैयद इमाम अली, स०अ०नि०, गृह आरक्षी	सजा	04.09.93	गृह विभाग	
62	13/85	राम चन्द्र सिंह, अ०नि०, गृह आरक्षी	सजा	27.02.93	गृह विभाग	
63	7(10)78	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, स०अ०नि०, गृह आरक्षी	सजा	09.06.94	गृह विभाग	
64	115/85	शिव लखन राम, स०अ०नि०, गृह आरक्षी	सजा	12.12.94	गृह विभाग	
65	34/89	सूर्य नारायण तिवारी, पु०नि०, गृह आरक्षी	सजा	04.03.98	गृह विभाग	
66	17/90	जैकब राखा झा, पु०नि०, निगरानी	सजा	29.05.99	गृह विभाग	
67	24/92	महादेव चौधरी, पु०अ०नि०, गृह आरक्षी	सजा	26.02.2003	गृह विभाग	
68	45/91	श्री पी०सी० श्रीवास्तव, थाना प्रभारी, चौथम, खगड़िया	पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा के लिए 2000/-रू० जुर्माना	22-01-09	गृह (आरक्षी) विभाग	
69	43/88	श्री बालकेश्वर प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक, धनरूआ थाना, पटना	सजा	21-02-09	गृह (आरक्षी) विभाग	
70	42/91	श्री पुनेश्वर राय, सहायक, कारापाल, मंडल कारा, पुर्णिया	धारा-7/13 में 6 महीना एवं 13 (1) (डी) में 1 वर्ष	15-06-10	गृह (कारा) विभाग	
71	31/79	श्री शालीग्राम शर्मा, थाना प्रभारी, चौसा, जिला सहरसा।	एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	27-08-10	गृह (आरक्षी) विभाग	
72	60 (12) 77	मो० सयद इमाम अली, स०अ०नि०,	सजा	9/4/1993	गृह (आरक्षी) विभाग	

73	13/85	श्री रामचन्द्र सिंह, अ0नि0,	सजा	27-02-93	गृह (आरक्षी) विभाग	
74	7(10) 78	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अ0अ0नि0	सजा	6/9/1994	गृह (आरक्षी) विभाग	
75	115/85	श्री शिव लखन राम, स0अ0नि0	सजा	12/12/1994	गृह (आरक्षी) विभाग	
76	17/90	श्री जैकब राखा झा, पु0नि0, निगरानी	सजा	29-05-99	गृह (आरक्षी) विभाग	
77	28/92	श्री धनवंत शरण, पु0अ0नि0	सजा	20-12-99	गृह (आरक्षी) विभाग	
78	24/92	श्री महादेव चौधरी, पु0अ0नि0	सजा	26-02-03	गृह (आरक्षी) विभाग	
79	26/94	नागेश्वर प्रसाद साह, तत्कालीन जेलर, उपकारा बाढ़, जिला-पटना	दो वर्ष की सजा 5000/- रू0 जुर्माना	29-05-13	गृह (कारा) विभाग	
80	23/08	सैयद गुलाम फरीद, पुलिस अवर निरीक्षक, बाँका थाना जिला बाँका	1.5 वर्ष की सजा एवं 5000/- रू0 जुर्माना	11/1/2011	गृह (आ0) विभाग	
81	41/08	हीतलाल दास, पु0अ0नि0, थाना परस विगहा, जिला-जहानाबाद, गुह आरक्षी	पटना ट्रैप कोर्ट द्वारा 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/-रू0 जुर्माना	21-03-13	गृह (आ0) विभाग	
82	59 (9) 78	श्री महेन्द्र कुमार मस्ताना, पर्यवेक्षक, अनाज प्रशोध उद्योग प्रभारी, खदी ग्रामोद्योग कार्यालय, गया।	एक वर्ष	16-09-08	उद्योग विभाग	
83	30/91	श्री कैलाश प्रसाद सिंह, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया	दो वर्ष एवं 5000/- रू0 जुर्माना की सजा	23.02.06	श्रम संसाधन विभाग	
84	33/96	श्री रामेश्वर प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त, श्रम एवं नियोजन विभाग, पटना	दो वर्ष	31-05-07	श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग	
85	01/97	श्री आनन्द बिहारी श्रीवास्तव, सहायक, श्रम एवं नियोजन विभाग, पटना	सजा	31-05-07	श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग	
86	30/91	श्री कैलाश प्रसाद सिंह, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया	दो वर्ष एवं 5000/-रू0 जुर्माना की सजा	23-02-06	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	
87	122/09	श्री बद्री ठाकुर, मुखिया, ग्राम पंचायत राज कर्णपुर, सुपौल	विभिन्न धाराओं में क्रमशः 02 वर्ष एवं एक वर्ष छः महीना तथा 5000-5000/-रू0 का जुर्माना	5/3/2011	पंचायती राज	
88	32/86	3. श्री अखिलेश्वर प्रसाद, उप मुखिया	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	11/12/2012	पंचायती राज	
89	32/86	7. श्री गोरख सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज, गरखा, सारण	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	11/12/2012	पंचायती राज	

90	64/07	जगदीश पंडित (मुखिया), पंचायत-मैराबरीढ़, कतरीसराय, गया	दो वर्ष की सजा 5000/-रु0 जुर्माना	25.07.13	पंचायती राज	
91	40/88	कन्हैया लाल, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	एक वर्ष सजा, 5000/- रु0 जुर्माना	15.09.95	लोक स्वा0 अभि0 विभाग	
92	07/82	भोला सिंह, आदेशपाल, लोक स्वा0 अभि0 विभाग	सजा	02.03.96	लोक स्वा0 अभि0 विभाग	
93	56/06	संयुक्ता कुमारी, तत्कालीन लिपिक, अधिक्षण अभियंता कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, गया	विभिन्न धाराओं में एक-एक वर्ष एवं 2000-2000/-रु0 कुल 4000/-रु0 का जुर्माना की सजा सुनाई गई।	17-06-11	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	
94	12/84	अवधेश कुमार गुप्ता, अंचल निरीक्षक, राजस्व विभाग	सजा	08.08.94	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
95	64(10)78	जैथान प्रसाद, अंचल निरीक्षक, सामान्य प्रशासन	सजा	23.12.98	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
96	10/86	शैलेन्द्र बाबु, अमीन, राजस्व विभाग	सजा	29.01.2000	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
97	25/89	नवल किशोर यादव, अमीन, राजस्व विभाग	सजा	29.01.2000	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
98	32/86	6. श्री खुशींद हैदर, सर्किल इन्स्पेक्टर, गरखा अंचल, सारण	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	11/12/2012	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
99	06/87	विष्णु राम, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सजा	30.04.98	पथ निर्माण विभाग	झारखण्ड राज्य में पदस्थापित रहने के कारण न्यायादेश की प्रति पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजी गई है।
100	02/83	इन्दिरादमन सिंह, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सजा	1999	पथ निर्माण विभाग	
101	02/83	रणविजय सिंह, कनीय अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सजा	1999	पथ निर्माण विभाग	31.10.2000 को मृत्यु हो चुकी है।
102	01/86	1) श्री विद्यानंद शर्मा, प्रवर कोटि लिपिक, राष्ट्रीय उच्च पथ कार्यालय अंचल, पटना	एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/-रु0 जुर्माना	29-05-08	पथ निर्माण विभाग	
103	01/86	2) शारदा प्रसाद				

104	33/93	श्री राम सुरेश तिवारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सहायक अभियंता, क्षेत्र पर्यवेक्षण प्रमंडल, अग्रिम योजना पथ निर्माण विभाग, आरा	तीन वर्ष एवं 10000/-रु0 जुर्माना	29-06-09	पथ निर्माण विभाग	
105	50/10	1. अवध शरण सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	
106	50/10	2. भोला नाथ पुरण, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णिया	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	झारखण्ड राज्य से सेवानिवृत्ति के कारण प्रशासी विभाग के द्वारा न्यायादेश की प्रति भेजी गयी है।
107	50/10	3. सुधीर कुमार उर्फ सुधीर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णिया	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	
108	50/10	4. त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	
109	50/10	5.सीतापति शरण, सहायक अभियंता	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	
110	50/10	6. त्रिलोकेश्वर प्रसाद उर्फ मिलोकेश्वर प्रसाद, कनीय अभियंता	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	
111	50/10	7. शेखर विश्वास ,कनीय अभियंता	तीन-तीन वर्ष सजा	26-02-13	पथ निर्माण विभाग	
112	10/83	उर्मिला यादव, पत्नी श्री सुदीन प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, मुंगेर	तीन वर्ष एवं 5000/-रु0 जुर्माना	24-11-08	पथ निर्माण विभाग	
113	29/86	2) श्री शिवनंदन सिंह, कनीय अभियंता।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित है।
114	29/86	3) श्री रामप्रीतराय, सहायक अभियंता। N.R.E.P.	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	
115	30/86	2. श्री शिवनंदन सिंह, कनीय, अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लखीसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	



116	30/86	3. श्री रामप्रीत राय, सहायक अभियंता, एन0आर0पी0ए0	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	
117	30/86	4. श्री गोपाल कृष्ण, सहायक, लखीसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	पथ निर्माण विभाग	
118	36/87	श्री शैलेन्द्र मोहन दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, नई बेली रोड शाखा, पटना	तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/-रु0 जुर्माना	2/6/2011	पथ निर्माण विभाग	
119	17/87	1. पारसनाथ शर्मा, कनीय अभियंता, छौरादान, रक्सौल, मोतिहारी	दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में क्रमशः 10 वर्ष, 07 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष का कारावास एवं क्रमशः 50000/-रु0 50000/-रु0 25000/-रु00 एवं 25000/- रु0 जुर्माना	5/7/2011	पथ निर्माण विभाग	दोनों जल संसाधन विभाग से संबंधित है।
120	17/87	2. दिगविजय सिंह, सहायक अभियंता, रक्सौल, मोतिहारी	दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में क्रमशः 10 वर्ष, 07 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष का कारावास एवं क्रमशः 50000/-रु0 50000/-रु0 25000/-रु00 एवं 25000/- रु0 जुर्माना	5/7/2011	पथ निर्माण विभाग	
121	48/92	2. उमा शंकर यादव, कनीय अभियंता	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	पथ निर्माण विभाग	
122	48/92	3. मनोहर प्रसाद गुप्ता, कनीय अभियंता	पटना-II कोर्ट द्वारा प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रु0 जुर्माना	30-03-13	पथ निर्माण विभाग	
123	18/83	बबन दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग	सजा	30.11.2003	ग्रामीण विकास विभाग	
124	18/83	राजेन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग,	सजा	30.11.2003	ग्रामीण विकास विभाग	

125	Feb-91	2. जी०पी० सिन्हा, मोटरयान निरीक्षक, बिहारशरीफ।	धारा-120 बी०/420 एवं भ्र०नि०अधि० की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	परिवहन विभाग	
126	Feb-91	3. अरूण कुमार, सहायक जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर।	धारा-120 बी०/420 एवं भ्र०नि०अधि० की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	परिवहन विभाग	
127	Feb-91	4. राजेन्द्र प्रसाद यादव	धारा-120 बी०/420 एवं भ्र०नि०अधि० की धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।	30-06-11	परिवहन विभाग	
128	30/93	जय लगन राय, अधीक्षक, नगर निगम	सजा	24.07.2004	नगर विकास एवं आवास विभाग	
129	71/07	श्री शिवराज कुमार, सहायक पटना क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, पटना	एक वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू० का जुर्माना	28-03-11	नगर विकास एवं आवास विभाग	
130	43/89	शिव नन्दन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग	सजा	14.08.2003	जल संसाधन विभाग	
131	14/92	श्री विश्वनाथ सिंह, लिपिक, जिला भविष्य निधि कार्यालय, भागलपुर	एक वर्ष एवं 6 महीना	31-05-10	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	
132	100/06	श्री किशुन दास, प्रभारी प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, पिरपौती, भागलपुर	तीन वर्ष एवं 5000/-रू० जुर्माना	31-03-10	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	
133	30/86	5. श्री लक्ष्मी शंकर रावत, हल्का कर्मचारी।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	
134	14/89	श्री अवधेश प्रसाद, लिपिक, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, नवादा	एक वर्ष एवं 500/-रू० जुर्माना	20-08-08	जिला पदाधिकारी, नवादा	
135	11/82	उमेश कुमार वर्मा, ठेकेदार मे० एसोसिएट इन्जिनियरिंग गैर लोक सेवक-1	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	
136	18/83	धर्मदेव राय, प्राईवेट, गैर लोक सेवक-2	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	
137	18/83	सिराजुद्दीन, प्राईवेट, गैर लोक सेवक-3	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	
138	18/83	राजेन्द्र साह, प्राईवेट, गैर लोक सेवक-2	सजा	30.11.2003	प्राईवेट	

139	18/83	श्री अर्जुन सिंह, गैर लोक सेवक-5	सजा	15.05.07	प्राईवेट	
140	18/83	श्री अर्जुन सिंह, प्राईवेट	सजा	15+05-07	प्राईवेट	
141	29/86	4) श्री शंकर पासवान, अभिकर्ता।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	प्राईवेट	
142	29/86	5) श्री राजेन्द्र झा (नेपाल झंझ) ठिकेदार।	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	प्राईवेट	
143	30/86	6. श्री रामस्वरूप यादव, अभिकर्ता	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	प्राईवेट	
144	32/86	2. श्री कालीचरण गुप्ता, कर्मचारी गरखा, अंचल सारण।	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	11/12/2012	जिला पदाधिकारी, सारण	
145	32/86	4. श्री शंभु नाथ सिंह, कर्मचारी गरखा अंचल, सारण	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	11/12/2012	जिला पदाधिकारी, सारण	
146	32/86	5. श्री बबन सिंह, ग्राम पंचायत राज, रामपुर	सभी अभियुक्तों को 5 साल की सजा	11/12/2012	जिला पदाधिकारी, सारण	